



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 53-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 30, 2018 (CHAITRA 9, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 मार्च, 2018

**संख्या 45/एसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस अधिसूचना में इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, हरियाणा, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तिथि
(1)	(2)	(3)
1.	अप्रैल, 2018	20 मई, 2018
2.	मई, 2018	20 जून, 2018
3.	जून, 2018	20 जुलाई, 2018

2. प्ररूप-जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए करों का संदाय: प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त सारणी के खाना (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तिथि के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी फाइल करना अपेक्षित है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता के विकलन करते हुए अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

आशिमा बराड़,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-राज्य  
कर आयुक्त, हरियाणा।

**HARYANA GOVERNMENT**  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

**Notification**

The 30th March, 2018

**No. 45/ST-2.**— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

**Table**

<b>Serial Number</b>	<b>Month</b>	<b>Last date for filing of return in FORM GSTR-3B</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	April, 2018	20th May, 2018
2.	May, 2018	20th June, 2018
3.	June, 2018	20th July, 2018

**2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

ASHIMA BRAR,  
Excise and Taxation Commissioner-Cum  
Commissioner of State Tax, Haryana.